7. **प्रबंधन समिति**

संबंधन कारी विश्वविद्यालय/राज्य सरकार के नियमानुसार गठित प्रत्येक संस्था की एक प्रबंधन समिति होगी। यदि इस प्रकार के कोई नियम नहीं है तो संस्था प्रबंधन समिति का गठन अपने आप करेगी। इस समिति में संबंधित सोसाइटी/ट्रस्ट के प्रतिनिधि, कुछ शिक्षाविद् अध्यापक–शिक्षक, संबंधन विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि, तथा अध्यापक वर्ग के प्रतिनिधि समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करेंगे।

परिशिष्ट–5

शिक्षा में मास्टर(एम.एड) डिग्री प्राप्त कराने वाले शिक्षा में मास्टर कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक

1. **प्रस्तावना**

शिक्षा (एम.एड) कार्यक्रम शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में द्विवर्षीय व्यावसायिक कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य शिक्षक प्रशिक्षकों और अन्य शिक्षा–व्यवसायियों को तैयार करना है जिसमें पाठ्यचर्या निर्माता, शिक्षा–नीति विश्लेषक, योजनाकार, प्रशासक, पर्यवेक्षक, विद्यालय–प्राचार्य और शोधार्थी आते हैं। कार्यक्रम के समापन पर प्रारंभिक शिक्षा (कक्षा VIII तक) या माध्यमिक शिक्षा (कक्षा VI से XII) में विशेषज्ञता के साथ शिक्षा एम.एड की उपाधि प्रदान की जाएगी।

2. **आवेदन के लिए पात्र संस्थाएं**

(i) न्यूनतम पांच शैक्षणिक वर्षों के लिए शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम चलाने वाले ऐसे संस्थान जो किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो और **नैक** या किसी **राअशिप** द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य प्रत्यायन अभिकरण से प्रत्यायन के लिए आवेदन किया हो।

(ii) विश्वविद्यालयों के शिक्षा–विभाग

3. **अवधि एवं कार्य दिवस**

3.1 अवधि

शिक्षा एम.एड कार्यक्रम की अवधि न्यूनतम 4 सप्ताह के क्षेत्रीय कार्य तथा लघु शोध पत्र समेत दो शैक्षणिक वर्षों की होगी। विद्यार्थियों को इस द्विवर्षीय कार्यक्रम को पूरा करने के लिए कार्यकम में दाखिले की तारीख से अधिकतम तीन वर्ष के भीतर पूरा कर लेने की अनुमति होगी। क्षेत्रीय कार्य/प्रायोगिक परीक्षा/अन्य गतिविधियां ग्रीष्म ऋतु में करायी जानी चाहिए।

3.2 कार्य–दिवस

प्रवेश की अवधि को छोड़कर तथा कक्षा संचालन प्रायोगिक कार्य परीक्षा, क्षेत्रीय अध्ययन एवं परीक्षा के आयोजन समेत प्रत्येक वर्ष में कम से कम दो सौ कार्यदिवस होंगे। संस्थान सप्ताह (पाँच या छः दिन) में न्यूनतम 36 घंटे कार्य करेगा। इस दौरान कार्यक्रम से सम्बद्ध अध्यापक एवं विद्यार्थी अंतःक्रिया, संवाद, परामर्श एवं मार्ग दर्शन के लिए विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध होंगे।

सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम और प्रायोगिक कार्य के लिए 80% तथा क्षेत्रीय कार्य के लिए 90% न्यूनतम उपस्थिति होगी।

4. **दाखिला क्षमता, पात्रता, प्रवेश प्रक्रिया और फीस**

4.1 प्रवेश

इस कार्यक्रम की मूल इकाई में 50 विद्यार्थी होंगे। प्रत्येक संस्थान को केवल एक इकाई रखने की अनुमति होगी। अतिरिक्त इकाई की अनुमति केवल बुनियादी सुविधाओं, अध्यापकों तथा अन्य संसाधनों की गुणवत्ता के आधार पर दी जाएगी। साथ ही संस्थान ने तीन वर्षों तक यह कार्यक्रम चलाया हो और उसे **नैक** अथवा **राअशिप** द्वारा मान्यता प्राप्त प्रत्यायन अभिकरण द्वारा न्यूनतम बी+ ग्रेड दिया गया हो।

4.1 पात्रता

(ए) बी.एड. कार्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों के पास निम्नलिखित कार्यक्रमों में कम से कम 50 प्रतिशत अंक या समकक्ष ग्रेड होने चाहिए–

(i) बी.एड

(ii) बी.ए.बी.एड, बी.एससी.बी.एड

(iii) बी.एल.एड

(iv) अवर स्नातक उपाधि के साथ डी.एल.एड. (प्रत्येक में 50 प्रतिशत अंक)

(बी) अजा/अजजा/अपिव/विकलांग तथा अन्य उपयुक्त श्रेणियों के लिए आरक्षण एवं छूट केन्द्र सरकार/राज्य सरकार, जो भी प्रयोज्य हो, के नियमों के अनुसार दी जाएगी।

4.3 प्रवेश प्रक्रिया

कार्यक्रम में प्रवेश अर्हर परीक्षा और प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अथवा राज्य सरकार/विश्वविद्यालय/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन की नीतियों के अनुसार किसी अन्य चयन प्रक्रिया द्वारा दिया जाएगा।